न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 15/2018 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 04.06.2018
G.C.M.S. NO. :- 2020/00031

रमजान अली पिता अनार अली, उम्र 67 वर्ष, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–केशुराम पिता नानालाल ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार भूमिधारी तहसीलदार, डूंगला, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, बडीसादडी प्रकरण संख्या 912/2002 आवंटन दिनांक 08.01.2002

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता प्रार्थी

प्र. सं. 15/2018 (रा.प्रा.पत्र)
रमजान अली पिता अनार अली निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम केशुराम पिता नानालाल ब्राह्मण निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 29.11.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने विपक्षी संख्या 1 को राजस्व चिकारड़ा, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1778/2098 रकबा 10 बिस्वा भूमि का पटवारी हल्का चिकारड़ा की रिपोर्ट को आधार मानते हुए गलत रूप से मौके पर विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं होते हुए भी बिना किसी जांच पड़ताल के आवंटित कर दी जो पूर्णतया विधि विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब की गई। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 तथा उसके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुन प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा पारित आवंटन आदेश न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने बिना कोई जांच पड़ताल किये राजस्व ग्राम चिकारड़ा, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1778/2098 रकबा 10 बिस्वा भूमि पटवार हल्का चिकारड़ा की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो निरस्त योग्य है। आवंटित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है मौके पर प्रार्थी का कब्जा वर्षों से निर्बाध चला आ रहा है फिर भी अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानते हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 15/2018 (रा.प्रा.पत्र)
रमजान अली पिता अनार अली निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम केशुराम पिता नानालाल ब्राह्मण निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

उक्त आराजी का विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है। आवंटित आराजी नम्बर 1778/2098 के भूप्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 2809/1778 रकबा 0.126 हैक्टेयर कायम किये। इस प्रकार आवंटित आराजीयात की स्थिति मौके पर नाला है फिर भी गलत रूप से रेकार्ड में नाला दर्ज नहीं होने का अनुचित लाभ उठाकर उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 1 को गलत तरीके से आवंटित कर दी जबकि मौके पर कभी भी काश्त नहीं हुई है आवंटन पश्चात् कभी हंकाई-जुताई नहीं हुई मौके पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व ही निरंतर व निर्बाध कब्जा-काश्त चला आ रहा है। भूमि वक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जे काश्त में थी फिर भी प्रार्थी को बेदखल किए बगैर उक्त आराजी विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी जो अपने आप में निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम चिकारड़ा, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1778/2098 रकबा 10 बिस्वा का आवंटन आदेश निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण को गुणावगुण पर देखा। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में राजस्व ग्राम चिकारड़ा, तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 1778/2098 रकबा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को भू आंवटन कमेटी बडीसादडी द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 15/2018 (रा.प्रा.पत्र)
रमजान अली पिता अनार अली निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ बनाम केशुराम पिता नानालाल ब्राह्मण निवासी चिकारड़ा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

अधीनस्थ कार्यालय की भू आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 ने भूमिहीन होने से ग्राम चिकारड़ा में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी ने ग्राम चिकारड़ा की आराजी नम्बर 1778/2098 रकबा 10 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व ही कब्जा-काश्त था तो उसे भी नियमानुसार उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन कर भूमि आंवटन/नियमन करानी चाहिए थी जो कि प्रार्थी के द्वारा नहीं करवाई गई। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त विवादित आवंटित आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे-काश्त संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा न ही प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित कराया है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र में आवंटन से पूर्व का उसका कब्जा-काश्त होने संबंधित कथन कर देने या तथ्य वर्णित कर देने के आधार पर लगभग 22 वर्ष पुराना आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(प्रभा गौतम)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official